न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/20/2023 दायर दिनांक 12.04.2023

उनवान

1. कालुराम पिता राम लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धोवीखेड़ा मजरा धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

——प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक 19.11.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धमाना पटवार हल्का धमाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य परिवारजन के खातेदारी की आराजी नम्बर 2640 रकबा 0.22 हेक्टर, आराजी नम्बर 2772 रकबा 0.27 हेक्टर आराजी नम्बर 2778 रकबा 0.32 हेक्टर आराजी नम्बर 2779 रकबा 0.19 हेक्टर स्थित है जो ग्राम धमाना के तालाब में पानी होने पर तालाब से सिंचित होती है तथा इसके अलावा प्रार्थी के चाह नम्बर 2781 से भी सिंचित होती है।

यह कि प्रार्थी की उक्त आराजियात पर आने जाने का रास्ता मुख्य रास्ता नम्बर 2750 है जो हाल आराजी नम्बर 2751 एवं 2749 के बिच में होकर निकलता है तथा आगे आराजी नम्बर 2772 एवं 2782 के बिचों बिच होकर निकलता है जो प्रार्थी की आराजी नम्बर 2779 के वहां पर जाता है।

यह कि उक्त हाल आराजी नम्बर 2750 के साविक आराजी नम्बर 1445 था जो किस्म रास्ता दर्ज था और जिसके नये नम्बर सेटलमेन्ट कर्मचारीयों से जो आराजी नम्बर 2750 कायम किये है लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने साबिक आराजी नम्बर 1445 किस्म रास्ता को हाल आराजी नम्बर 2750 में जो किस्म रास्ता दर्ज नही करके गैर मुमकिंन नहर दर्ज कर दी है जो गलती की है सेटलमेन्ट कर्मचारीयों को उक्त रास्ता की किस्म परिवर्तन करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही था फिर भी किस्म रास्ता के बजाय किस्म नहर दर्ज कर दिया है जो गलत है।

यह कि हाल आराजी नम्बर 2751 एवं 2749 के खातेदार ने प्रार्थी की आराजी पर आने जाने वाले सरकारी रास्ते को इसका नाजायज फायदा उठा कर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी का अपनी आराजी पर आना जाना तथा बैलगाड़ी, मवेशी लाना ले जाना तथा काश्त करने बाबत् ट्रेक्टर लाना ले जाना भी बन्द हो गया है जिससे प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात पर काश्त करना असम्भव हो गया है तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। जबकि साबित नक्षा ट्रेस एवं हाल नक्षा ट्रेस में भी रास्ता कायम है लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने गलती से रास्ता की किस्म को बदल कर रेवेन्यू रेकार्ड में नहर दर्ज कर दिया गया है जो गलत है।

यह कि हाल ही में आराजी रास्ता नम्बर 2750 को आराजी नम्बर 2751 एवं 2749 के खातेदार ने प्रार्थी की आराजी पर जाने के उक्त रास्ता को माह जुलाई 2023 में हंकाई करके बन्द कर दिया है तथा उक्त रास्ता को खोलने बाबत् कहा तो खोलने से मना कर दिया तथा प्रार्थी ने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

र्थी को उक्त रास्ता के सम्बन्ध में लिखित में प्रार्थनापत्र दिया लेकिन उक्त आराजी की किस्म र दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थी ने उक्त रास्ता को खोलने से मना कर दिया है ।

है कि प्रार्थी ने अन्तिम बार 01 मार्च 2023 को भी रास्ता खोलने बाबत् कहा तो अप्रार्थी ने रेवेन्यू रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज नही होने के कारण खोलने से मना कर दिया जिससे विनाय प्रार्थनापत्र पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 1/3/2023 को एवं उसके पश्चात् निरन्तर पैदा हो रही है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धमाना की हाल आराजी नम्बर 2750 जो कि वर्तमान में किस्म नहर दर्ज है तथा उक्त आराजी के साविक आराजी नम्बर 1445 थे जो किस्म रास्ता दर्ज था जिससे उक्त हाल आराजी नम्बर 2750 की किस्म नहर के बजाय रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलव किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार के ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत किया गया –

1. यह की वाद पत्र में दर्ज मद संख्या 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है।
2. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है मुताबिक रिकार्ड ख०नं0 2750 गै0मु0 नहर है।
3. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 3 रिकार्ड तक स्वीकार है शेष अस्वीकार है।
4. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है रिकार्ड मे गै.मु. नहर होने से अस्वीकार है।
5. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है।
6. यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 6 रिकार्ड तक स्वीकार है शेष अस्वीकार है।
7. यह है, कि वाद पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है।
8. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 8 कानूनी है।
9. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 9 कानूनी है।
10. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 10 कानूनी है।

अतः निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। हाल आराजी संख्या 2750 गै0मु0 नहर दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा वक्त सेटलमेन्ट आराजीयात का मौके पर उपयोग अनुसार राजस्व रेकार्ड में सुधार किया जाता है, हाल आराजी संख्या 2750 वर्तमान में खाता संख्या 1 में दर्ज रेकार्ड है, व पूर्व में भी खाता संख्या 1 में दर्ज रेकार्ड थी, जो प्रार्थी की स्वयं की आराजीयात नही है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया सुधार जो कि मौकें की स्थिति को देखकर किया जाता है, अतः उक्त आराजीयात में किये गये परिवर्तन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

अधिकारी, कपासन

(राजेश सुरोलिया)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन